

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवामें

उप सचिव
बिहार विधान सभा
पटना।

विषय:-

श्रीमती भागीरथी देवी, स०वि०स० के तारांकित प्रश्न संख्या-पुन-13 के उत्तर से उद्भूत आश्वासन संख्या-223/12 का कार्यान्वयन (अनुपालन) प्रतिवेदन का प्रेषण।
पटना-15, दिनांक-

प्रसंग:-
महाशय,

बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 223 दिनांक-21.03.2012

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच-सह-जिला आपदा प्रबंधन, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया से प्राप्त प्रतिवेदन (पत्रांक-06 दिनांक-04.01.2014) के अनुसार कार्यान्वयन (अनुपालन) प्रतिवेदन निम्नवत है:-

“ वर्ष 2010 में भलूई नदी में आई बाढ़ से रामनगर प्रखंड अन्तर्गत नौरंगिया दोन पंचायत के जिंगरहनी ढायर दोन ग्रामों के 147 अनुसूचित जनजाति (थारु) परिवार बाढ़ से विस्थापित हुये थे, जिसमें 140 परिवारों को सरकारी भूमि बंदोबस्त कव वास की भूमि उपलब्ध करा दिया गया है। शेष सात परिवारों को वास की भूमि उपलब्ध थी, जिसके कारण उन सात परिवारों के मुखिया को सरकारी भूमि बंदोबस्त नहीं की गई। ”

अतः उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुरोध है कि विषयांकित तारांकित प्रश्न के उत्तर से उद्भूत विषयाधीन आश्वासन संख्या-223/12 को इस विभाग की ओर से कार्यान्वित मानते हुए बिहार विधान सभा की लंबित सूची से मुक्त करने का अनुरोध तारांकित प्रश्न एवं आश्वासन समिति से करने तथा कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुनील कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-...../आ०प्र० पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि-उपसचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-963...../आ०प्र० पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि-सुश्री कविता कुमारी, आई० टी० मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाइट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी